भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली–110001

सं. ईसी/पीएन/3/2015 दिनांक : 12 जनवरी, 2015

प्रेस नोट

विषय : राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2015 हेतु अनुसूची–तत्संबंधी।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की पिछली विधान सभा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 239क ख के अंतर्गत जारी आदेश सं. का.आ. 410 (अ) दिनांक 16 फरवरी, 2014 के खण्ड (क) के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 6 की उप–धारा (2) के खण्ड (ख) के अंतर्गत जारी अपने आदेश सं. सा. का. नि. 773 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 2014 के जरिए तत्काल प्रभाव से विघटित कर दी गई थी।

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 की धारा 5 और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 15 के साथ पठित अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अपनी शक्तियों, कर्तव्यों और प्रकार्यों के नाते और 2002 के सदंर्भ मामला सं. 1 (गुजरात विधान सभा के समय–पूर्व विघटन पर उसके साधारण निर्वाचनों के संबंध में अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा संदर्भ) में भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धान्त का अनुपालन करते हुए आयोग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की पिछली विधान सभा के विघटन की तारीख से छह महीने के भीतर अर्थात् 3 मई, 2015 तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में नई विधान सभा गठित करने के लिए निर्वाचन आयोजित करने के लिए अधिदेशाधीन है।

(1) विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्र

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों की कुल संख्या और परिसीमन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत परिसीमन आयोग द्वारा यथा–निर्धारित अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटें नीचे दी गई हैं:–

विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों की कुल संख्या	अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित	अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित
70	12	.....

(2) निर्वाचक नामावलियां

1.1.2015 की अर्हक तिथि के संदर्भ में संशोधित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियां 05.01.2015 को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दी गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में निर्वाचकों की संख्या 13085251 है।

(3) फोटो निर्वाचक नामावलियां

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में आगामी साधारण निर्वाचन के दौरान दिल्ली में फोटो निर्वाचक नामावलियों का इस्तेमाल किया जाएगा। फोटो निर्वाचक नामावलियों की फोटो प्रतिशतता 100% है।

(4) निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक)

मतदान के समय मतदान बूथ पर मतदाताओं की पहचान की जानी अनिवार्य होगी। जिन निर्वाचकों को एपिक उपलब्ध कराए गए हैं उनकी एपिक के माध्यम से पहचान की जाएगी। वर्तमान में, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में एपिक का कवरेज 100% है।

शेष रह गए सभी निर्वाचकों, यदि कोई हों, को सलाह दी जाती है कि वे अपने विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों से अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र तुरंत प्राप्त कर लें।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी मतदाता को उसके मताधिकार से वंचित न किया जाए, यदि उनका नाम निर्वाचक नामावलियों में शामिल है तो जरूरत पड़ने पर, मतदाताओं की पहचान करने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों की अनुमति देने के लिए पृथक अनुदेश जारी किए जाएंगे।

(5) मतदान केन्द्र

निर्वाचक नामावलियों के अंतिम प्रकाशन की तारीख की स्थिति के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में 11763 केन्द्र हैं।

निःशक्त व्यक्तियों की सुविधा के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए गए हैं कि जहां तक व्यवहार्य हो सके, सभी मतदान केन्द्र भूतल पर स्थित हों और रैम्पों की व्यवस्था की जाए। किसी मतदान केन्द्र या मतदान केन्द्रों के समूह में हेल्प लाइनों और सुविधा केन्द्रों के माध्यम से निर्वाचकों के नामों का पता लगाने के लिए भी सुविधा प्रदान की जाएगी।

(6) मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाएं (बीएमएफ)

आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सुनिश्चित करने के लिए अनुदेश जारी किए हैं कि मतदान केन्द्रों में आधारभूत न्यूनतम सुविधाओं (बीएमएफ) जैसे पेय जल, शेड, टॉयलेट, निःशक्त मतदाताओं के लिए रैम्प और एक मानक वोटिंग कम्पार्टमेंट आदि की व्यवस्था की जाए।

(7) मतदान दल और यादृच्छिकीकरण

मतदान दलों का, विशेष एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से, यादृच्छिकीकृत रूप से गठन किया जाएगा। तीन चरणों वाला यादृच्छिकीकरण अपनाया जाएगा। पहले चरण में, पात्र कर्मचारियों के अपेक्षाकृत व्यापक डिस्ट्रिक्ट डाटाबेस से अपेक्षित संख्याओं की न्यूनतम 120% की लघुकृत

सूची का यादृच्छिक रूप से चयन किया जाएगा। इस समूह को मतदान ड्यूटियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। दूसरे चरण में, इस प्रशिक्षित जनशक्ति से, रैंडम सिलेक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा यथापेक्षित वास्तविक मतदान दलों का, सामान्य प्रेक्षकों की उपस्थिति में, गठन किया जाएगा। तीसरे यादृच्छिकीकरण में मतदान दल के प्रस्थान के ठीक पहले यादृच्छिक रूप से मतदान केन्द्र आबंटित किए जाएंगे। जो पुलिस कांस्टेबल और होम गार्ड मतदान के दिन मतदान केन्द्रों पर तैनात किए जाते हैं, उनके लिए भी ऐसे ही यादृच्छिकीकरण किया जाएगा।

(8) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में सभी मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का इस्तेमाल करके मतदान करवाया जाएगा। 2 (दो) विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रों में वीवीपीएटी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। आयोग ने निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में ईवीएम की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए पहले ही व्यवस्थाएं की हैं। आयोग ने ईवीएम की प्रथम स्तरीय जांच के संबंध में अनुदेशों का एक नया सेट जारी किया है जिसका राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में मतदान में इस्तेमाल किया जाएगा। ईवीएम का दो चरणों में यादृच्छिकीकरण किया जाएगा। पहले चरण में, जिला स्टोरेज सेंटर में स्टोर की गई सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें (ईवीएम), विधान सभा निर्वाचन–क्षेत्रवार आबंटित किए जाने के लिए, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में जिला निर्वाचन अधिकारी (डीईओ) द्वारा यादृच्छिकीकृत की जाएंगी। निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों को अंतिम रूप दिए जाने के उपरांत ईवीएम को तैयार किया जाएगा और निर्वाचनों के लिए सेट किया जाएगा। इस चरण में भी, अभ्यर्थियों या उनके एजेंटों/प्रतिनिधियों को ईवीएम की प्रकार्यात्मकता के बारे में हर एक तरीके से जांच करने और अपने आपको संतुष्ट कर लेने की अनुमति दी जाएगी। रिटर्निंग अधिकारी द्वारा मतदान के लिए किसी निर्वाचन–क्षेत्र में ईवीएम तैयार किए जाने और बैलट यूनिट्स में बैलट पेपर फिट करने के उपरांत ईवीएम को एक बार पुनः यह निर्णय लेने के लिए यादृच्छिकीकृत किया जाएगा कि वास्तव में वे मतदान केन्द्र कौन–कौन से होंगे जिनमें अंततोगत्वा उनका इस्तेमाल किया जाएगा। द्वितीय चरण का यादृच्छिकीकरण प्रेक्षकों, अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा।

(9) ईवीएम में इनमें से कोई नहीं (नोटा) का विकल्प

वर्ष 2004 की रिट याचिका (सिविल) सं. 161 में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय, दिनांक 27 सितंबर, 2013 में निदेश दिया है कि मतपत्रों और ईवीएम पर "इनमें से कोई नहीं" (नोटा) का विकल्प होना चाहिए। न्यायालय ने निदेश दिया है कि आयोग को इसे "भारत सरकार की सहायता से या तो चरणबद्ध तरीके से या एक ही बार में क्रियान्वित करना चाहिए।"

बैलेटिंग यूनिट पर आखिरी उम्मीदवार के नाम के नीचे अब नोटा विकल्प के लिए एक बटन होगा ताकि ऐसे निर्वाचक जो किसी भी अभ्यर्थी को मत नहीं देना चाहते हैं वे नोटा के सामने बटन दबाकर अपने विकल्प का प्रयोग कर सकें।

आयोग इसे मतदाताओं और अन्य सभी पणधारियों की जानकारी में लाने और नोटा विकल्प के बारे में मतदान कर्मी सहित सभी फील्ड स्तरीय कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठा रहा है।

(10) अभ्यर्थियों के शपथ–पत्र – सभी स्तंभ भरे जाने हैं

वर्ष 2008 की रिट याचिका (सिविल) सं. 121 में उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय, दिनांक 13 सितंबर, 2013 के अनुसरण में, अन्य बातों के साथ–साथ, रिटर्निंग अधिकारी के लिए यह अनिवार्य बनाया गया है कि "वह इस बात की जांच करे कि क्या अपेक्षित सूचना शपथ–पत्र दाखिल करते समय नाम–निर्देशन पत्र के साथ पूरी तरह उपलब्ध करा दी गई है।" आयोग ने निदेश जारी किए है कि नाम–निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किए जाने वाले शपथ–पत्र में अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित है कि वे सभी स्तंभों को भरें। शपथ–पत्र में यदि कोई स्तंभ खाली छोड़ा जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी अभ्यर्थी को सभी स्तंभ भरे जाने के साथ शपथ–पत्र दाखिल करने के लिए नोटिस जारी करेंगे। ऐसे नोटिस के उपरांत, अगर अभ्यर्थी सभी दृष्टियों से पूर्ण शपथ–पत्र दाखिल करने में विफल रहता है तो नाम–निर्देशन पत्र संवीक्षा के समय अस्वीकृत किए जाने का भागी बनेगा। मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय और आयोग के अनुदेशों के बारे में सभी रिटर्निंग अधिकारियों को अवगत कराएं।

(11) संचार योजना

आयोग निर्वाचनों के सुचारू संचालन के लिए जिला निर्वाचन–क्षेत्र स्तर पर एक उपयुक्त संचार योजना बनाने और उसका क्रियान्वयन करने और मतदान के दिन समवर्ती हस्तक्षेप और मध्यकालिक संशोधन करने में सक्षम होने को बहुत महत्व देता है। उक्त प्रयोजन के लिए आयोग ने दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निदेश दिया है कि वे राज्य मुख्यालयों में दूरसंचार विभाग के अधिकारियों, एमटीएनएल, बीएसएनएल के प्राधिकारियों, दिल्ली के अन्य अग्रणी सेवा प्रदाताओं के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय करें ताकि नेटवर्क स्थिति का आकलन किया जा सके और संचार शैडो क्षेत्रों की पहचान की जा सके। मुख्य निर्वाचन अधिकारी को यह सलाह भी दी गई है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के लिए सर्वश्रेष्ठ संचार योजना सुनिश्चित करें।

(12) वीडियोग्राफी

सभी महत्वपूर्ण आयोजनों की वीडियोग्राफी की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी इस प्रयोजन के लिए पर्याप्त संख्या में वीडियो और डिजीटल कैमरे और कैमरा टीमों की व्यवस्था करेंगे। वीडियोग्राफी किए जाने वाले आयोजनों में नाम–निर्देशन दाखिल करना, उनकी संवीक्षा करना और प्रतीकों का आबंटन, प्रथम स्तरीय जांच, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों को तैयार करना और उनका भंडारण, प्रचार–अभियान के दौरान महत्वपूर्ण बैठकें, जुलूस आदि, डाक मतपत्रों के प्रेषण की प्रक्रिया, अभिचिह्नित संवेदनशील मतदान केन्द्रों में मतदान प्रक्रिया, मतदान में प्रयुक्त ईवीएम का भंडारण, मतों की गणना आदि शामिल होंगे। जहां कहीं भी जरूरी होगा वहां मतदान

बूथों के भीतर वेबकास्टिंग, वीडियोग्रॉफी और डिजीटल कैमरे लगाने की भी व्यवस्था की जाएगी। जो कोई व्यक्ति उनकी एक कॉपी हासिल करना चाहते हैं उन्हें वीडियो रिकार्डिंग्स की सीडी भुगतान करने पर उपलब्ध करवाई जाएगी।

(13) कानून और व्यवस्था एवं बलों की तैनाती

निर्वाचनों के संचालन में विस्तृत सुरक्षा प्रबंधन शामिल होता है। इसमें मतदान कर्मियों की सुरक्षा, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा, मतदान सामग्रियों की सुरक्षा और निर्वाचन प्रक्रिया की समग्र संरक्षा भी सुनिश्चित करना शामिल है। मतदाताओं, विशेषकर अति संवेदनशील मतदाताओं जैसे कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यकों आदि के मन में भरोसा कायम करने के लिए मतदान से पहले, क्षेत्र में प्रभुत्व कायम करने के लिए, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) की तैनाती की जाती है।

आयोग ने ऐसे परिवेश का निर्माण करके निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय किए हैं जिसमें प्रत्येक निर्वाचक बिना किसी बाधा या बिना किसी से अनुचित रूप से प्रभावित/भयभीत हुए मतदान केन्द्र तक पहुंच सके।

जमीनी स्थिति के आकलन के आधार पर, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) और अन्य राज्यों से ली गई राज्य सशस्त्र पुलिस (एसएपी) इन निर्वाचनों के दौरान तैनात की जाएगी। सीएपीएफ और एसएपी का, सामान्य तौर पर, मतदान केन्द्रों की सुरक्षा करने और मतदान के दिन निर्वाचकों और मतदान कर्मियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा, इन बलों का उन स्ट्राँग रूमों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाएगा जहां ईवीएम का भंडारण किया जाता है। इनका मतगणना केन्द्रों की सुरक्षा के लिए और जरूरत पड़ने पर अन्य प्रयोजनों के लिए भी इस्तेमाल किया जाएगा।

आयोग कानून और व्यवस्था बनाए रखने और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों के संचालन के लिए अनुकूल वातावरण का निर्माण करने हेतु जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस प्राधिकारियों द्वारा किए जाने वाले अग्रिम निवारक उपायों के संबंध में समय–समय पर अनुदेश जारी करता रहा है। आयोग जमीनी स्थिति का सतर्कतापूर्वक सतत अनुवीक्षण करता रहेगा और इस राज्य में शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए समुचित उपाय करेगा।

(14) अ.जा./अ.ज.जा. निर्वाचकों को सुरक्षा प्रदान करना

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1) (vii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के किसी सदस्य को मतदान न करने के लिए या किसी विशिष्ट अभ्यर्थी के लिए मतदान करने के लिए या विधि द्वारा उपबंधित रीति से भिन्न रीति से मतदान करने के लिए मजबूर या अभित्रस्त करेगा; वह कारावास से, जिसकी अवधि छह माह से कम की नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी, और जुर्माने से दण्डनीय होगा। आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार से कहा है कि वे इन उपबंधों को, इन पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने के लिए, सभी संबंधितों के ध्यान में लाएं।

(15) सामान्य प्रेक्षक

आयोग निर्वाचनों का सुचारू संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में सामान्य प्रेक्षकों को तैनात करेगा। प्रेक्षकों से कहा जाएगा कि वे स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचनों को सुनिश्चित करने के लिए निर्वाचन प्रक्रिया के प्रत्येक चरण पर पैनी नजर रखेगें। उनके नाम, जिला/निर्वाचन–क्षेत्र के भीतर पते और उनके टेलीफोन नम्बरों का स्थानीय समाचार पत्रों में प्रचार–प्रसार किया जाएगा ताकि सामान्य जन किसी भी प्रकार की शिकायत का निवारण करने के लिए उनसे शीघ्रतापूर्वक संपर्क कर सकें। प्रेक्षकों को तैनात किए जाने से पूर्व आयोग द्वारा उनकी विस्तारपूर्वक ब्रीफिंग की जाएगी। आयोग कानून एवं व्यवस्था की स्थिति पर पैनी नजर रखने के लिए पुलिस प्रेक्षकों की तैनाती भी कर सकता है।

(16) निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय के प्रभावी अनुवीक्षण के प्रयोजनार्थ समेकित अनुदेश जारी किए गए हैं जिनमें उड़न दस्तों, स्थैतिक निगरानी दलों, वीडियो निगरानी दलों का गठन किया जाना, आयकर विभाग आदि के अन्वेषण निदेशालयों की सहभागिता लेना आदि शामिल हैं। राज्य उत्पाद–शुल्क विभागों और पुलिस प्राधिकारियों से कहा गया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान मदिरा और अन्य मादक पदार्थों के उत्पादन, वितरण, बिक्री और भंडारण पर नजर रखें।

और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए और निर्वाचन खर्चों के अनुवीक्षण–कार्य को आसान बनाने के लिए अभ्यर्थियों के लिए यह अपेक्षित होगा कि वे एक पृथक बैंक खाता खोलें और उस खाता–विशेष से ही अपने निर्वाचन खर्चों को पूरा करें। आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय को कहा गया है कि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के हवाई अड्डों में हवाई आसूचना इकाई खोलें और आसूचना भी जुटाएं तथा इस राज्य में भारी मात्रा में धनराशि की आवाजाही के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई करें।

अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय पर पैनी नजर रखने के लिए केन्द्रीय सरकार से व्यय प्रेक्षक और सहायक व्यय प्रेक्षक नियुक्त किए जा रहे हैं। सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान 24 घंटे चलने वाले टॉल फ्री नम्बरों के साथ नियंत्रण कक्ष तथा शिकायत अनुवीक्षण केन्द्र काम करेंगे। बैंकों एवं भारत सरकार की वित्तीय आसूचना इकाईयों से कहा गया है कि वे नकदी निकासी की संदेहास्पद रिपोर्टें निर्वाचन अधिकारियों को अग्रेषित करें।

सभी अभ्यर्थियों को यह अवश्य सुनिश्चित करना चाहिए कि वे केवल संशोधित फार्मेट (प्रपत्र 26) में अपने शपथ–पत्र दाखिल करें। संशोधित फार्मेट ईसीआई की वेबसाइट पर और रिटर्निंग अधिकारी की हैंडबुक में उपलब्ध है।

(17) पेड न्यूज

'पेड न्यूज़' संबंधी मामले पर कार्रवाई करने के लिए जिला, राज्य तथा ई सी आई स्तर पर मीडिया प्रमाणन और अनुवीक्षण समितियों (एम सी एम सी) के तीन स्तरों पर प्रक्रिया निर्धारित की गई है। 'पेड न्यूज़' पर संशोधित व्यापक अनुदेश आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

पेड न्यूज तथा पेड न्यूज पर नियंत्रण लगाने की प्रक्रिया के संबंध में जिलों में राजनीतिक दलों तथा मीडिया की ब्रीफिंग सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

(18) पुलिस प्रेक्षक

आयोग, आवश्यकता और संवेदनशीलता के आधार पर मतदान होने वाले राज्य में जिला स्तर पर पुलिस प्रेक्षकों के रूप में आई पी एस अधिकारियों को तैनात कर सकता है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित करने के लिए वे बलों की तैनाती, कानून और व्यवस्था की स्थिति से संबंधित सभी कार्यकलापों का अनुवीक्षण करने के साथ–साथ नागरिक और पुलिस प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे।

(19) माइक्रो ऑबज़र्बर्स

चुनिंदा संवेदनशील मतदान केंद्रों पर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करने के लिए, आयोग सामान्य प्रेक्षकों के अतिरिक्त माइक्रो ऑबज़र्वरों की भी तैनाती करेगा। उनका चुनाव केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारियों में से किया जाएगा। माइक्रो ऑबज़र्वर मतदान वाले दिन मतदान केंद्रों पर छद्म मतदान से लेकर मतदान के पूरे होने तक की प्रक्रियाओं, ई वी एम सील करने की प्रक्रिया और अन्य दस्तावेजों का अवलोकन करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि आयोग के सभी अनुदेशों का मतदान दलों और मतदान अभिकर्ताओं द्वारा अनुपालन किया जा रहा है। वे आबंटित मतदान केंद्रों में मतदान प्रक्रिया को बिना प्रभावित किए सीधे ही सामान्य प्रेक्षकों को रिपोर्ट करेंगे।

(20) सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता (स्वीप)

मतदान होने वाले राज्यों में विशेष नामावली पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान मतदाता शिक्षा हेतु व्यापक उपाय किए गए थे। निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान ये उपाय जारी रहेंगे। मतदान वाले राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को निर्वाचन संबंधी सूचना के व्यापक प्रचार–प्रसार को सुनिश्चित करने तथा साथ ही मतदाता शिक्षा अभियान चलाने और मतदान में लोगों की व्यापक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त फैसीलिटेशन उपायों संबंधी निदेश दे दिए गए हैं।

आदर्श मतदान केंद्र भी चिह्नित जिलों में स्थापित किए जाएंगे। मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता हेल्पलाइन, मतदाता सुविधा केन्द्र, वेब और एस एम एस आधारित 'सर्च' सुविधाएं क्रियाशील हैं। उन व्यक्तियों, जो कि शारीरिक रूप से निशक्त हैं या जिनकी विशेष आवश्यकताएं हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं रखी गई हैं।

(21) अधिकारियों का आचरण

आयोग निर्वाचनों के संचालन में कार्यरत सभी अधिकारियों से यह अपेक्षा करता है कि वे अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से बिना किसी भय या पक्षपात के निर्वहन करें। उन्हें आयोग की प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और वे आयोग के नियंत्रण, पर्यवेक्षण और अनुशासन के अध्यधीन होंगे। उन सभी सरकारी अधिकारियों का आचरण, जिन्हें निर्वाचन संबंधी जिम्मेदारी और कर्तव्य सौंपे गए हैं, निरंतर आयोग की संवीक्षा के अधीन रहेगा तथा उन अधिकारियों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिनके कार्य निष्पादन में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाएगी।

आयोग ने इस संबंध में पहले ही अनुदेश दिए हैं कि निर्वाचन संबंधी किसी भी अधिकारी या निरीक्षक या उससे उच्च रैंक के पुलिस अधिकारी को उसके गृह जिले में कार्य जारी रखने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, इस संबंध में भी अनुदेश जारी किए गए हैं कि वे सभी निरीक्षक या उससे उच्चतर स्तर के पुलिस अधिकारी सहित निर्वाचन संबंधी अधिकारी जिन्होंने पिछले चार वर्षों के दौरान किसी एक जिले में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, उनका उस जिले से स्थानांतरण कर देना चाहिए। उप निरीक्षक रैंक के वे पुलिस अधिकारी जिन्होंने किसी सब डिवीजन/ विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं या अपने गृह सब डिवीजन/विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में तैनात हैं तो उनका भी उस सब–डिवीजन और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र से स्थानांतरण कर दिया जाएगा।

आयोग ने राज्य सरकारों को यह भी अनुदेश दिए हैं कि वे ऐसे किसी अधिकारी को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल न करें जिसके विरूद्ध किसी मामले में न्यायालय में आरोप लगाए गए हैं।

(22) जिला निर्वाचन योजना

निर्वाचनों के संचालन के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को जिला पुलिस अधिकारियों तथा सेक्टर अधिकारियों के परामर्श से रूट योजना और संचार योजना सहित व्यापक जिला निर्वाचन योजना तैयार करने को कहा गया है। इन योजनाओं की भारत निर्वाचन आयोग के विद्यमान अनुदेशों के अनुसरण में, अतिसंवेदनशील मानचित्रण क्रिया पर विचार करते हुए और संवेदनशील मतदान केंद्रों का पता लगाकर प्रेक्षकों द्वारा जांच की जाएगी।

(23) आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता अब से आगे तक के लिए तत्काल प्रभाव से लागू हो जाएगी। आदर्श आचार संहिता के सभी उपबंध मतदान होने वाले राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के सम्पूर्ण हिस्सों और सभी अभ्यर्थियों, राजनैतिक दलों, और राज्य सरकार पर भी लागू होंगे। आदर्श आचार संहिता संबंधित राज्य के संदर्भ में संघ सरकार पर भी लागू होगी।

आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए आयोग ने विस्तृत व्यवस्थाएं की हैं। इन दिशा–निर्देशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को कड़ाई से निपटा जाएगा और आयोग इस संबंध में पुनः बल देता है कि इस बारे में समय–समय पर जारी अनुदेशों को सभी राजनैतिक दलों, निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों और उनके अभिकर्ताओं/प्रतिनिधियों द्वारा पढ़ा व समझा जाना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की आशंका या सूचना के अभाव अथवा समझने/व्याख्या की कमी से बचा जा सके।

(24) फोटो मतदाता पर्ची

मतदाताओं को इस संबंध में सुविधा देने के लिए कि वे यह जान सकें कि उन्हें किस मतदान केन्द्र में पंजीकृत किया गया है और निर्वाचक नामावली में उसका/उसकी क्रम संख्या क्या है, आयोग ने ये निदेश दिए हैं कि जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी पंजीकृत मतदाताओं को फोटोयुक्त मतदाता पर्ची (नामावली में जहां कहीं भी हो) वितरित की जाएगी। यह भी निदेश दिए गए हैं कि उक्त मतदाता पर्ची उसी भाषा में होगी जिसमें उस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचन नामावली प्रकाशित की गई है।

(25) शिकायत निवारण तंत्र – कॉल सेंटर तथा वेबसाइट आधारित

मतदान होने वाले राज्य में कॉल सेंटर और वेबसाइट पर आधारित शिकायत निवारण तंत्र होगा। कॉल सेंटर की संख्या 1950 है जो कि टॉलफ्री संख्या है। प्रत्येक राज्य के लिए शिकायत पंजीकरण वेबसाइट के यू आर एल की घोषणा संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा अलग से की जाएगी। शिकायतें टॉल फ्री कॉल सेंटर संख्या पर फोन करके या वेबसाइट पर दर्ज कराई जा सकती हैं। सभी शिकायतों पर समय–सीमा के अंदर कार्रवाई की जाएगी। शिकायतकर्ताओं को एस एम एस द्वारा या कॉल सेंटर द्वारा की गई कार्रवाई के संबंध में सूचित किया जाएगा। शिकायतकर्ता, अपनी शिकायतों पर की गई कार्रवाई का विवरण वेबसाइट पर भी देख सकते हैं

(26) निर्वाचन की अनुसूची

आयोग ने सभी संगत पहलुओं जैसे जलवायु संबंधी परिस्थिति, शैक्षिक कैलेण्डर, त्यौहारों, राज्य में विद्यमान कानून और व्यवस्था की स्थिति, केन्द्रीय पुलिस बलों की उपलब्धता, एवं बलों की समयोचित तैनाती तथा अन्य बुनियादी वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन करवाने के लिए अनुसूचियां तैयार की हैं।

सभी संगत पहलुओं पर विचार करने के पश्चात, आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के सम्बद्ध उपबंधों के अधीन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचनों हेतु अधिसूचना जारी करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप–राज्यपाल को संस्तुति करने का निर्णय लिया है।

निर्वाचन अनुसूची अनुबंध 1 पर संलग्न है।

(सुमित मुखर्जी)
सचिव

अनुबंध–1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की विधान सभा के साधारण निर्वाचन, 2015 की अनुसूची

अधिसूचना की तारीख	14.01.2015 (बुधवार)
नाम निर्देशन करने की अंतिम तारीख	21.01.2015 (बुधवार)
संवीक्षा की तारीख	22.01.2015 (गुरूवार)
अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तारीख	24.01.2015 (शनिवार)
मतदान की तारीख	07.02.2015 (शनिवार)
मतगणना की तारीख	10.02.2015 (मंगलवार)
वह तारीख जिसके पहले निर्वाचन सम्पन्न करा लिया जाएगा	12.02.2015 (गुरूवार)